सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जिला कार्यालय में प्रदर्शित समस्याओं के समाधान

बेबसाइट **https://sje.rajasthan.gov.in** **SCHOLARSHIP PORTAL URL** https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship

छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्र 2023–24 में किये गये नवीन बदलाव

विभाग के सत्यापन व स्वीकृतकर्ता स्तर पर के स्तर पर

क्रम संख्या	नवीन प्रावधान
	आवेदन सत्यापन/स्वीकृति क्षेत्राधिकार– शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्यनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी का होगा। किन्तु **राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों** में अध्ययनरत राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों के मामलों में जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

नोट – विभागीय अधिकारी/कर्मचारी विद्यार्थियों एवं संस्थानों के का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का समाधान करना भी सुनिश्चित करें।

वेरिफायर के स्तर पर

क्र. सं.	नवीन प्रावधान
1	**चेतावनी हेतु पॉपअप** – वेरिफायर द्वारा सत्यापित एवं अनुशंषित आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित होगें। अतः वेरिफायर द्वारा सत्यापित छात्रवृति आवेदनों में यदि कोई भी त्रुटि पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व वेरिफायर का होगा। जिसका पॉप–अप छात्रवृति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान वेरिफायर को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
2	सत्र 2023–24 से पूर्व वाले लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकतालिकाओं के ऑनलाइन सत्यापन हेतु वेरिफायर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेरिफिकेशन लिंक छात्रवृति पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जावेगी तथा मार्कशीट को वेरिफाई कर लिए जाने की पुष्टि हेतु वेरिफायर के स्तर पर चैक बोक्स प्रदर्शित किया जावेगा।

जिलाधिकारी के स्तर पर

क्रम संख्या	नवीन प्रावधान
1	**संदिग्ध आवेदन रैड फ्लैग में प्रदर्शन**– स्वीकृतकर्ता को अग्रेषित होने तक आवेदन पत्र में अंकित विवरण में कोई भी परिर्वतन किया गया हो तो आवेदन रैड फ्लैग में प्रदर्शित होगा जिसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गहन परीक्षण कर आवेदन के गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत/निरस्त किया जावेगा।
2	छात्रवृत्ति के 100 आवेदनों तक के इकजाई स्वीकृती एवं बिल जनरेट करते समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी के आधार बेस्ड् मोबाईल नंबर. पर ओटीपी का प्रावधान

———————————————